(c) whether instructions have also been issued to stop flow of funds from the rural areas to the urban areas through the banking system; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY:): (a) to (d) Reserve Bank of India (RBI) has advised banks to achieve a credit deposit (C:D) ratio of 60% in respect of their rural and semi-urban branches separately on an all India basis. Various measures taken by the Government/RBI and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to increase the flow of credit with the primary aim of development of Rural area in Uttar Pradesh are (i) setting up of a High Level Committee by RBI for improvement of Credit Deposit (C:D) ratio in Uttar Pradesh; (ii) Constituting a task force for development of eastern U.P.; (iii) Constituting separate core groups on C.D. Ratio at State and District levels for identifying new areas for credit; (iv) Self Help Groups in village/rural areas being identified for bringing them in the fold of institutional credit; (v) Prime Minister's Rozgar Yojana launched earlier in urban areas has been extended to rural areas also; and (vi) Separate Annual Credit Plan projections are made for rural and semi-urban areas.

गुजरात में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के बढ़ते घाटे

5248. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया गुजरात में घाटे में चल रही अपनी शाखाओं को बंद करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे उठाने वाली शाखाओं, विशेष रूप से सौराष्ट्र की ऐसी शाखाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1993-94 के लिए पुनर्पूंजी-करण निधियों का आबंटन करते समय, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई थी कि वे शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में 10 अनर्थक्षम/हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करेंगे और हानि वहन करने वाली 50 ग्रामीण/अर्धशहरी शाखाओं को सैटेलाइट कार्यालयों में परिवर्तित करेंगे। लेकिन, समीक्षा करने पर, बैंक ने हानि उठाने वाली केवल 43 ग्रामीण शाखाओं को सैटेलाइट कार्यालय में बदलने का निर्णय लिया है और अनर्थक्षम/हानि उठाने वाली शहरी/महाल नगरीय शाखाओं में से केवल 7 शाखाओं को वह बन्द करेगा, जिसमें से गुजरात राज्य में केवल एक शाखा स्थित है।

(घ) गुजरात के विशेष संदर्भ में (सौराष्ट्र के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है)। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की हानि उठाने वाली शाखाओं की स्थिति निम्नानुसार है:—

कुल शाखाओं की संख्या	हानि उठाने वाली कुल शाखाओं की संख्या	हानि की राशि
214	102	829.04 लाख रुपए

पूंजी निवेश के संबंध में नाबार्ड का नियम

5249. **श्री कैलाशनारायण सारंग:**
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपनी ऋण योग्य निधियों का क्रमशः कम से कम 25% और 40% अल्पकालीन ऋणों में निवेश करने का नियम बनाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह पूंजी 11% पर संग्रहित कर 9% ब्याज पर लगानी पड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस 2% घाटे की पूर्ति किस प्रकार होगी; और